

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 115]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 मार्च 2024—चैत्र 8, शक 1946

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2024

फा. क्र. 14-चार-2024-वि.निर्वा.-82.- विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधि विभाग भारत सरकार की अधिसूचना क्र. का.आ. 1573(अ), दिनांक 28 मार्च 2024 का हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

राजेश कुमार कौल, सचिव.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

का.आ. 1573(अ).—सत्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति पर, नई लोक सभा गठित किए जाने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराए जाने का विनिश्चय किया गया है ;

अतः, अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी, यथास्थिति, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और जम्मू-कश्मीर राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में समाविष्ट की गई उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार, सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करती हैं :

| राज्य (1) | संसदीय क्षेत्र (2) |
|--------------|-----------------------|
| असम | 4-दारंग-उदालगुड़ी |
| | 6-डिफू (अ.ज.जा.) |
| | 7-करीमगंज |

| राज्य (1) | संसदीय क्षेत्र (2) |
|--------------|-----------------------|
| | 8-सिलचर (अ.जा.) |
| | 9-नगांव |
| बिहार | 10-किशनगंज |
| | 11-कटिहार |
| | 12-पूर्णियाँ |
| | 26-भागलपुर |
| | 27-बाँका |
| छत्तीसगढ़ | 6-राजनांदगांव |
| | 9-महासमुन्द |
| | 11-काँकेर (अ.ज.जा.) |
| कर्नाटक | 15-उदीपी चिकमगलुर |
| | 16-हसन |
| | 17-दक्षिण कन्नड |
| | 18-चित्रदुर्ग (अ.जा.) |
| | 19-टुमकुर |
| | 20-मान्डया |
| | 21-मैसूर |
| | 22-चामराजनगर (अ.जा.) |
| | 23- बंगलौर ग्रामीण |
| | 24- बंगलौर उत्तर |
| | 25- बंगलौर केन्द्रीय |
| | 26- बंगलौर दक्षिण |
| | 27-चिक्काबल्लापुर |
| | 28-कोलार (अ.जा.) |
| केरल | 1-कासरगोड |
| | 2- कन्नूर |
| | 3-वडकरा |
| | 4- वयनाड |
| | 5-कोझीकोड |
| | 6-मलप्पुरम |
| | 7- पोन्नानी |
| | 8-पालक्काड |
| | 9-अलथूर (अ.जा.) |
| | 10- त्रिस्सूर |
| | 11-चालाकुडी |
| | 12-एरनाकुलम |

| राज्य (1) | संसदीय क्षेत्र (2) |
|-------------------|------------------------|
| | 13-इडुक्की |
| | 14-कोट्टयम |
| | 15-अलप्पुझा |
| | 16-मावेलीक्करा (अ.जा.) |
| | 17- पथनमथीट्ट |
| | 18-कोल्लम |
| | 19-अट्टिगल |
| | 20-तिरुवनन्तपुरम |
| मध्य प्रदेश | 06-टीकमगढ़ (अ.जा.) |
| | 07-दमोह |
| | 08-खजुराहो |
| | 09-सतना |
| | 10-रीवा |
| | 17-होशंगाबाद |
| | 29-बैतूल (अ.ज.जा.) |
| महाराष्ट्र | 5-बुलढाणा |
| | 6-अकोला |
| | 7-अमरावती (अ.जा.) |
| | 8-वर्धा |
| | 14-यवतमाल-वाशिम |
| | 15-हिंगोली |
| | 16-नांदेड |
| | 17- परभणी |
| राजस्थान | 12-टोंक-सवाई माधोपुर |
| | 13-अजमेर |
| | 15-पाली |
| | 16-जोधपुर |
| | 17-बाड़मेर |
| | 18-जालोर |
| | 19-उदयपुर (अ.ज.जा.) |
| | 20-बांसवाड़ा (अ.ज.जा.) |
| | 21-चित्तौड़गढ़ |
| | 22-राजसमन्द |
| | 23-भीलवाड़ा |
| | 24-कोटा |
| 25-झालावाड़-बारां | |

| राज्य (1) | संसदीय क्षेत्र (2) |
|---------------|----------------------------|
| त्रिपुरा | 2-त्रिपुरा पूर्व (अ.ज.जा.) |
| उत्तर प्रदेश | 9-अमरोहा |
| | 10-मेरठ |
| | 11-बागपत |
| | 12-गाजियाबाद |
| | 13-गौतम बुद्ध नगर |
| | 14-बुलन्दशहर (अ.जा.) |
| | 15-अलीगढ़ |
| पश्चिमी बंगाल | 17-मथुरा |
| | 4-दार्जिलिंग |
| | 5-रायगंज |
| जम्मू-कश्मीर | 6-बालूरघाट |
| | 5-जम्मू |

[फा. सं. एच-11024(4)/2023-वि. II]

हस्ता./—

(दिवाकर सिंह)

संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2024

S.O. 1573(E).—Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the People, on the expiration of the term of Seventeenth House of the People;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary Constituencies, specified, in column (2) of the Table given below comprised within the corresponding States or Union territory, as the case may be, of Assam, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal and Jammu & Kashmir as specified in column (1) of the said Table, to elect the Members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

| STATE (1) | PARLIAMENTARY CONSTITUENCY (2) |
|--------------|-----------------------------------|
| ASSAM | 4-Darrang-Udalguri |
| | 6-Diphu(ST) |
| | 7-Karimganj |
| | 8-Silchar (SC) |
| | 9-Nagaon |
| BIHAR | 10-Kishanganj |
| | 11-Katihar |
| | 12-Purnia |
| | 26-Bhagalpur |
| | 27-Banka |

| STATE (1) | PARLIAMENTARY CONSTITUENCY (2) |
|----------------|-----------------------------------|
| CHHATTISGARH | 6-Rajnandgaon |
| | 9-Mahasamund |
| | 11-Kanker (ST) |
| KARNATAKA | 15-Udupi Chikmagalur |
| | 16-Hassan |
| | 17-Dakshina Kannada |
| | 18-Chitradurga (SC) |
| | 19-Tumkur |
| | 20-Mandya |
| | 21-Mysore |
| | 22-Chamarajanagar (SC) |
| | 23-Bangalore Rural |
| | 24-Bangalore North |
| | 25-Bangalore Central |
| | 26-Bangalore South |
| | 27-Chikballapur |
| KERALA | 1-Kasaragod |
| | 2-Kannur |
| | 3-Vadakara |
| | 4-Wayanad |
| | 5-Kozhikode |
| | 6-Malappuram |
| | 7-Ponnani |
| | 8-Palakkad |
| | 9-Alathur (SC) |
| | 10-Thrissur |
| | 11-Chalaky |
| | 12-Ernakulam |
| | 13-Idukki |
| | 14-Kottayam |
| | 15-Alappuzha |
| | 16-Mavelikkara (SC) |
| | 17-Pathanamthitta |
| | 18-Kollam |
| | 19-Attingal |
| | 20-Thiruvananthapuram |
| MADHYA PRADESH | 06-Tikamgarh (SC) |
| | 07-Damoh |
| | 08-Khajuraho |
| | 09-Satna |
| | 10-Rewa |

| STATE (1) | PARLIAMENTARY CONSTITUENCY (2) |
|-----------------|-----------------------------------|
| MAHARASHTRA | 17-Hoshangabad |
| | 29-Betul (ST) |
| | 5-Buldhana |
| | 6-Akola |
| | 7-Amravati (SC) |
| | 8-Wardha |
| | 14-Yavatmal-Washim |
| | 15-Hingoli |
| | 16-Nanded |
| | 17-Parbhani |
| RAJASTHAN | 12-Tonk-Sawai Madhopur |
| | 13-Ajmer |
| | 15-Pali |
| | 16-Jodhpur |
| | 17-Barmer |
| | 18-Jalore |
| | 19-Udaipur (ST) |
| | 20-Banswara (ST) |
| | 21-Chittorgarh |
| | 22-Rajsamand |
| | 23-Bhilwara |
| | 24-Kota |
| | 25-Jhalawar- Baran |
| TRIPURA | 2-Tripura East (ST) |
| UTTAR PRADESH | 9-Amroha |
| | 10-Meerut |
| | 11-Baghat |
| | 12-Ghaziabad |
| | 13-Gautam Buddha Nagar |
| | 14-Bulandshahr (SC) |
| | 15-Aligarh |
| | 17-Mathura |
| WEST BENGAL | 4-Darjeeling |
| | 5-Raiganj |
| | 6-Balurghat |
| JAMMU & KASHMIR | 5-Jammu |

[F. No. H-11024(4)/2023-Leg.II]

Sd./-
(DIWAKAR SINGH)
Jt. Secy. and Legislative Counsel.